न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

बालू लाल खटीक बनाम सत्यनारायण खटीक

मुकदमा 111, 128 LR Act नं. 151 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 8/12/020 को पेश हो।	
8/12/20	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/2/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
23/2/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य ... पत्रावली साबिक आदेश दिनांक ... को पेश हो। आज्ञा से रीडर	मैं सह खातेदा[र] हूं पत्थरगढी [...] कराने में सहमत हूं सत्यनारायण खटीक 18-03-202[1]
8/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधि. वकील उपस्थित विपक्षी संख्या 1 सत्यनारायण एवं विपक्षी सं. 2 उपस्थित होकर पत्थरगढी की जाने में अपनी सहमति दी है। शेष विपक्षी ऊर्फ S बावड़ू ...	पत्थरगढ कराने सहमत हूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर ... अहक... हुक्म ... में ...
	कार्यवाही के आदेश दिए जाते है. वांछित उठी गई प्रार्थना पत्र - याचिका दाखिलाव से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आ.मा. किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर कार्यालय से बद्ध हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:08 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

न्यायालय लेण्ड रेकार्ड (उपखण्ड अधिकारी) बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री महीपाल सिंह (आर ए एस)

प्रकरण संख्या 151/2020 प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक 07/09/2020
निर्णय दिनांक 18/03/2021

अनवान

बालुलाल पिता कल्याण खटीक उम्र वयस्क निवासी – बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0 ....प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पिता कल्याण खटीक निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. गणपतलाल पिता जगन्नाथ खोईवाल निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. देबीलाल पिता गोटू खोईवाल निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. सोहनलाल पिता करमा डीडवानिया निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. नारायण पिता घीसु खोईवाल निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील **प्रार्थी**

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0 रा[illegible] अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] कि वाके ग्राम बनेडा पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी [illegible] खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 1014 स्थित आराजी संख्या **184 , 4524 , 4525 ,** [illegible] **4546** कुल किता 05 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि जो प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत[illegible] है । प्रमाण [illegible] नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण [illegible] है । प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के चिन्ह नही [illegible] विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसे प्रार्थी खाते की [illegible] करानी चाहता है । आवेदन स्वीकार किया [illegible] पत्थरगढी का आदेश प्रदान [illegible]या जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को वजह [illegible] करने हेतु नोटिस जारी किये गये विपक्षी गण जारी नोटिस बाद तामील रिक[illegible] उपलब्ध है विपक्षी संख्या 01 व 02 उपस्थित होकर पत्थरगढी कराने मे सहमति व्य[illegible] है एंव विपक्षी संख्या 03 से 05 सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षी गण नियत दिन [illegible] वास्ते अपना पक्ष रखने हाजिर नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के [illegible] पारित किये जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई । प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृर्षि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृर्षि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेडा पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 1014 स्थित आराजी संख्या 184 , 4524 , 4525 , 4526 4546 कुल किता 05 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतू तहसीलदार बनेडा को आदेश पारित किया जाता है । कमिश्नर फीस भु–अभलेख निरीक्षक बनेडा को 600/– रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी । पक्षकारान की उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18–03–2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(महीपाल सिंह)
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
लेण्ड रेकार्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:08 IST
Reason: SelfAttested